

आदेश अन्तर्गत धारा 144 द0प्र0सं0

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट की परीक्षाएँ दिनांक 05.03.2018 से प्रारम्भ होनी है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि कुछ असामाजिक व अवांछनीय तत्व परीक्षा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों एवं सूचनाओं के परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि व्यवस्था व शान्ति सुरक्षा एवं परीक्षा का सफल आयोजन कराये जाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।


अतएव मैं प्रताप सिंह शाह, अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन/नजूल, उधमसिंहनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जनपद उधमसिंहनगर के हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट के सभी परीक्षा केन्द्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 25.03.2018 तक धारा-144 सी.आर.पी.सी.के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित करता हूँ:-

- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र, लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर आदि एकत्रित करेगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि में नहीं करेगा और न ही ऐसे उत्तेजनात्मक नारे आदि लगायेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भव हो।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा।
- यह आदेश दिनांक 28.02.2018 से 25.03.2018 तक प्रभावी रहेगा।
- इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार परीक्षा केन्द्र के आस-पास मुख्य शिक्षाधिकारी, उधमसिंहनगर/ सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कराया जायेगा।
- उक्त आदेश पुलिस बल/पी0ए0सी0 एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा।
- आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश को आपातिक स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत रखते हुये तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण विपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण एक पक्षीय रूप से पारित करता हूँ।

उपरोक्त प्रतिबन्ध इस आदेश के जारी होने से दिनांक 25.03.2018 तक लागू होगा।

उक्त आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।


(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/नजूल)
उधमसिंहनगर।

क्रमशः 02....

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर।

E-mail: dmusn.1995@gmail.com

फोन नं०-05944-242344,250404(फैक्स)-250408

पत्र सं० ११२० /न्याय सहायक-20(04)/2018

दिनांक २० फरवरी, 2018

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर।
- 2- मुख्य शिक्षाधिकारी, उधमसिंहनगर को उक्त आदेश इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से जनपद उधमसिंहनगर के समस्त परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- समस्त परगना मजिस्ट्रेट, जनपद उधमसिंहनगर।
- 4- समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, जनपद उधमसिंहनगर।
- 5- समस्त थाना प्रभारी, जनपद उधमसिंहनगर।
- 6- निरीक्षक, अभिसूचना इकाई, उधमसिंहनगर।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंहनगर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
- 8- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उधमसिंहनगर को आदेश NIC पर अपलोड करने हेतु।

२
अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/नजूल)
उधमसिंहनगर।